



2026:AHC:21631

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2038 सन् 2026

भोला नाथ याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार सरोज, रश्मी निगम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, फूलपुर, प्रयागराज को वाद संख्या 09441/2019, सीएनआर संख्या T T201902030209441 (भोला नाथ बनाम विमला देवी और अन्य) का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका निपटाई जाती है और प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, फूलपुर, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का *शीघ्रता से, कानून के अनुसार* और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निपटारा करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"